



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन न० 0135-2669658 फैक्स न० 0135-2672902

विज्ञापन संख्या — 06/उ0अ0से0च0आ0/2016

विज्ञापन तिथि— 21 सितम्बर, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि—

26 सितम्बर, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि—

31 अक्टूबर, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न निगमों में समूह 'ग' के रिक्त 515 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—(आयु की गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2016 है।)

● विभिन्न निगमों, में अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) (प्रशिक्षु) के रिक्त 242 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
52	52.1	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०	<p>82 [(GEN-20, GEN(WO)-22, GEN(EX)-05, GEN(PH)-02, GEN(DFE)-02, GEN(UAK)-09, SC(WO)-05, SC(EX)-01, SC(PH)-01, SC(DFE)-01, SC(UAK)-02, ST-01, ST(WO)-02, ST(UAK)-01, OBC(WO)-04, OBC(EX)-01, BC(PH)-01, OBC(UAK)-02)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैंड—रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— 1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन/एप्लाइड इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेन्टेशन अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>2. उत्तराखण्ड राज्य के अनु०जाति/अनु०जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>3. विभागीय (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 50 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>4. देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान</p>

52.2	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०	<p>160 [(GEN-53, GEN(WO)-32, GEN(EX)-05, GEN(PH)-03, GEN(DFE)-02, GEN(UAK)-11, SC-11, SC(WO)-08, SC(EX)-01, SC(PH)-01, SC(DFE)-01, SC(UAK)-03, ST-02, ST(WO)-02, ST(UAK)-01, OBC-13, OBC(WO)-07, OBC(EX)-01, OBC(PH)-01, OBC(UAK)-02)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड —रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— हिन्दी देवनागरी लिपि के विस्तृत ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, यान्त्रिक, अभियान्त्रिकी, Power Engineering, Power System Engineering अथवा ऐसी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) जिनकी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) में Electrical, Electronics या Mechanical शब्द सम्मिलित हो, में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तथा उत्तराखण्ड राज्य के अनु०जाति/अनु०जनजाति/विभागीय (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित तीन वर्षीय डिप्लोमा अभियांत्रिकी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p>
------	-------------------------------	--	---

● विभिन्न निगमों में अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) के रिक्त 26 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-				
पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
53	53.1	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०	<p>20 [(GEN-08, GEN(WO)-04, GEN(EX)-01, GEN(PH)-01, GEN(UAK)-01, SC-02, SC(WO)-01, SC(UAK)-01, OBC(WO)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड —रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— 1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>2. उत्तराखण्ड राज्य के अनु०जाति/अनु०जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>3. विभागीय (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 50 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>4. देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान</p>
	53.2	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०	<p>06 [(GEN-01, GEN(WO)-01, SC-01, SC(WO)-01, OBC-01, OBC(WO)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड —रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं— हिन्दी देवनागरी लिपि के विस्तृत ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से सिविल अभियान्त्रिकी अथवा ऐसी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) जिनकी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) में Civil शब्द सम्मिलित हो, में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना तथा उत्तराखण्ड राज्य के अनु०जाति/अनु०जनजाति/विभागीय (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित तीन वर्षीय डिप्लोमा अभियांत्रिकी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p>

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) (प्रशिक्षु) के रिक्त 07 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
54	54.1	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०	07 [(GEN-03, GEN(WO)-01, SC-01, SC(WO)-01, OBC-01)] आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड -रु 9,300-34,800 ग्रेड वेतन-रु 4,600	शैक्षिक अर्हताएं:- 1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साईस/कम्प्यूटर अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. उत्तराखण्ड राज्य के अनु०जाति/अनु०जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3. विभागीय (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 50 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 4. देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में तकनीशियन ग्रेड-II (विद्युत) के रिक्त 80 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
55	55.1	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०	80 [(GEN-28, GEN(WO)-26, GEN(EX)-04, GEN(UAK)-09, SC(WO)-07, SC(EX)-01, SC(UAK)-01, ST-02, ST(WO)-01, OBC(WO)-01)] आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड -रु 5,200-20,200 ग्रेड वेतन-रु 2,600	शैक्षिक अर्हताएं- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण। 2. इलैक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र। 3. देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनुभव- सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

● पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के रिक्त 10 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
56	56.1	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0	10 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UAK)-01, SC-01, SC(WO)-01, OBC-01)] आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड -रु 5,200-20,200 ग्रेड वेतन-रु 2,600	शैक्षिक अर्हताएं- 1. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अंग्रेजी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलिपिक में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य हैं। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी में 6000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रेजी में 7000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। 4. एम0एस0 आफिस का न्यूनतम तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है। 5. देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान

● उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक लेखाकार के रिक्त 40 व उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक के रिक्त 68 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
57	57.1	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0	40 [(GEN-13, GEN(WO)-07, GEN(EX)-01, GEN(PH)-01, GEN(UAK)-02, SC-07, SC(WO)-03, SC(UAK)-01, ST-01, OBC-03, OBC(WO)-01)] पदनाम-सहायक लेखाकार आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड -रु 5,200-20,200 ग्रेड वेतन-रु 3,000	शैक्षिक अर्हताएं- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी या अंग्रेजी में न्यूनतम 4000 Key Depression प्रति घण्टा का गति। 4. हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान।
	57.2	उत्तराखण्ड जल संस्थान	68 [(GEN-21, GEN(WO)-12, GEN(EX)-02, GEN(PH)-PD-01, GEN(DFE)-01, GEN(UAK)-04, SC-08, SC(WO)-04, SC(EX)-01, SC(UAK)-01, T-02, ST(WO)-01, OBC-05, OBC(WO)-03), OBC(EX)-01, OBC(UAK)-01] पदनाम-सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड -रु 5,200-20,200	शैक्षिक अर्हताएं- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा हिन्दी में न्यूनतम 4000 Key Depression प्रति घण्टा का गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:- (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

		ग्रेड वेतन—रु 2,800	या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
--	--	---------------------	---

● उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में ड्राफ्ट्समैन के रिक्त 19 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
58	58.1	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०	<p>19 [(GEN-06, GEN(WO)-04, GEN(EX)-01, GEN(UAK)-01, SC-03, SC(WO)-01, OBC-02, OBC(WO)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैंड —रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— हिन्दी देवनागरी लिपि के विस्तृत ज्ञान के साथ,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रुड़की विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण-पत्र या, 2. बनारस, हिन्दु विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट्समैन का प्रमाण-पत्र या, 3. मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का ड्राफ्ट्समैन का प्रमाण-पत्र या, 4. राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् का ड्राफ्ट्समैन का प्रमाण-पत्र या, 5. राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का तीन वर्ष डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र या, 6. राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् का वास्तु अभियन्त्रण (Civil Engineering) में तीन वर्ष का प्रमाण-पत्र या, 7. केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा वास्तु अभियन्त्रण में डिप्लोमा या, 8. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण-पत्र।

● उत्तराखण्ड राज्य अवगस्थापना विकास निगम में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के रिक्त 20 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
59	59.1	उत्तराखण्ड राज्य अवास्थापना विकास निगम	<p>20 [(GEN-06, GEN(WO)-04, GEN(EX)-01, GEN(UAK)-01, SC-03, SC(WO)-01, ST-01, OBC-02, OBC(WO)-01)]</p> <p>आयु सीमा— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैंड —रु 9,300—34,800</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में डिप्लोमा आवश्यक होगा।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं:—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

		ग्रेड वेतन—रु 4,600	(iii) प्रशिक्षणार्थी के रूप से सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
--	--	---------------------	---

● उत्तराखण्ड राज्य अवगस्थापना विकास निमग में कैमिस्ट के रिक्त 03 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-				
पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
60	60.1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	03 [(GEN-01, GEN(WO)-01, SC-01)] आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैंड —रु 9,300—34,800 ग्रेड वेतन—रु 4,200	शैक्षिक अर्हताएं: — भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नात्कोत्तर की उपाधि। अधिमानी अर्हताएं: —अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

1. आयु सीमा: (1) अधिकतम आयु सीमा में छूट :

(क) शा0सं0— 1399 / XXX (2)/2015 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए (केवल चिन्हित पदों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) (शासनादेश संख्या — 1673 / XXX (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010)।

उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश संख्या —1244 / XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। (शा0सं0 —1270 / तीस-2 / 2004 दि0 11 अगस्त, 2004, शा0सं0-776 / XX(4)-26 / उ0आन्दो0 / 2006-08 (गृह अनुभाग-4) दि0 22 अक्टूबर, 2008, शा0सं0-777 / XX (4)-26 / उ0आन्दो0 / 2006-08 (गृह अनुभाग-4) दि0 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0-637 / XX(4)-26 / उ0आन्दो0 / 2006-09 (गृह अनुभाग-4) दि0 13 अगस्त, 2010)।

(छ) अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी।

2. शारीरिक स्वस्थता— किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रू से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी

अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-एक भाग-दो के अध्याय- तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

3. **कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी-** चयनित अभ्यर्थी Employees Provident Fund एवं Misc. Provisions Act, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य होंगे तथा उन पर Payment of Gratuity Act, 1972 के प्राविधान लागू होंगे।

4- **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। **(शासनादेश संख्या - 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014)**

शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैण्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।

5- **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामलों में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और से इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6- **चरित्र:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

7- वैवाहिक प्रास्थिति:- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

8-आरक्षण:-(1) **ऊर्ध्व आरक्षण-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण-** उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i) **“पूर्व सैनिक”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट:- पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) **“शारीरिक रूप से विकलांग”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो—(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणहास (तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणी:- विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

पद कोड	उप कोड	पदनाम	दिव्यांक की श्रेणी
52	52.1	अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) (प्रशिक्षु)	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
53	53.1	अवर अभियन्ता (जानपद)(प्रशिक्षु)	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
54	54.1	अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) (प्रशिक्षु)	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
56	56.1	आशुलिपिक ग्रेड—तृतीय	ओ0एल0, बी0एल0, पी0बी0, बी0

(iii) **“स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित”** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोट:-(1) शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों

का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

- (2) शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

9- **शुल्क** :- ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) बैंक ऑफ बड़ौदा (**Bank of Baroda**) के माध्यम से जमा कर सकता है। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 300 / - मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 300 / - मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150 / - मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 150 / - मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग(दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रु० 150 / - मात्र

10- **लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-**

क्र०सं०	पद का नाम	पाठ्यक्रम
1.	अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) (प्रशिक्षु)	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।

2.	अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।
3.	अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) (प्रशिक्षु)	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।
4.	तकनीशियन ग्रेड-II (विद्युत)	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।
5.	आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा। 1. अंग्रेजी आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य हैं। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी में 6000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रेजी में 7000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।
6.	सहायक लेखाकार एवं सहायक लेखाकार/ सम्परीक्षक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा का सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा। तथा हिन्दी में टंकण (Kruti Dev 010) में न्यूनतम 4000 Key Depression प्रति घण्टा का गति होनी चाहिए।
7.	ड्राफ्ट्समैन	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा का सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा का सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।
9.	कैमिस्ट	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा का सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।

- (i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iv) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:—

- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी को केवल एक correct/best विकल्प का चुनाव करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) तथा नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा (शासनादेश संख्या 1420/XXX(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011)। (उक्त की दशा में अगर किसी पद के लिए दो लिखित परीक्षाएं होती है तो दो लिखित परीक्षाओं में अलग-अलग प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैतालीस-पैंतालीस प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतीस-पैंतीय प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा)।

सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिशिप प्राप्त मूल/स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।
3. अनुभव शैक्षिक/तकनीकी योग्यता उपरान्त (Post Qualification) होना चाहिए।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं यदि प्रदेश के बाहर किसी आई0टी0आई0 संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो एवं उत्तराखण्ड के बहार अप्रैन्टिशिप किया हो, भी आवेदन के पात्र होंगे।
5. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि की छूट अनुमन्य होगी। शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा-निर्देश का पालन किया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय (Apex Court) द्वारा दिये गये हैं।
6. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आनलाईन आवेदन पत्र में विभागाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी अनापात्ति प्रमाण-पत्र (NOC) उल्लेख करना होगा, व किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है तथा NOC की मूल प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
7. पदकोड- 55 के उप कोड- 55.1 में अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र में भी अनुभव अंकित किया जाना होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो तो अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जायेगा।

उपरोक्त पदों हेतु अन्तिम चयन लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा किन्तु आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पदों पर आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी उनके लिए अभ्यर्थी को उक्त आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पदों हेतु अन्तिम चयन आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से केवल लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

12- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि- 29 अक्टूबर, 2016

14- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि- 31 अक्टूबर, 2016

15- रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

अतिमहत्वपूर्ण सूचना-

1. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विभागों के पृथक-पृथक पदों (पदकोड) हेतु पृथक-पृथक शुल्क जमा कर पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी पृथक-पृथक विभागों के एक ही प्रकृति/पदकोड के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र में विभागों को क्रमानुसार वरीयता क्रम में स्वयं भरना/इंगित करना अनिवार्य होगा।
3. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को **सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में किया जायेगा।** माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आन्दोलनकारियों को वाँछित आरक्षण का लाभ दिये जानें पर विचार किया जायेगा।
4. परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि विकलांग व्यक्तियों/अभ्यर्थियों के लिए बीस मिनट का अतिरिक्त समय और प्रश्न-पत्र से रेखागणित और गणित के अपवर्जन का उपलब्ध किया जाएगा और रेखागणित तथा गणित के स्थान पर कुछ अनुकल्प प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा।

(डा० एम०एस० कन्याल)
सचिव।



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन न० 0135-2669658

पत्रांक— /परीक्षा-विज्ञप्ति/2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न निगमों में समूह 'ग' के रिक्त 515 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) (प्रशिक्षु)	242
2.	अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)	26
3.	अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) (प्रशिक्षु)	07
4.	तकनीशियन ग्रेड-II (विद्युत)	80
5.	आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	10
6.	सहायक लेखाकार व सहायक लेखाकार /सम्परीक्षक	108
7.	ड्राफ्ट्समैन	19
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	20
9.	कैमिस्ट	03
योग		515

इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन संख्या 06/उ०अ०से०च०आ०/2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड/प्रसारित कर दिया गया है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है:—

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	21 सितम्बर, 2016 (Wednesday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि	26 सितम्बर 2016 (Monday)
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	29 अक्टूबर, 2016 (Saturday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	31 अक्टूबर, 2016 (Monday)

(डा० एम०एस० कन्याल)
सचिव

